



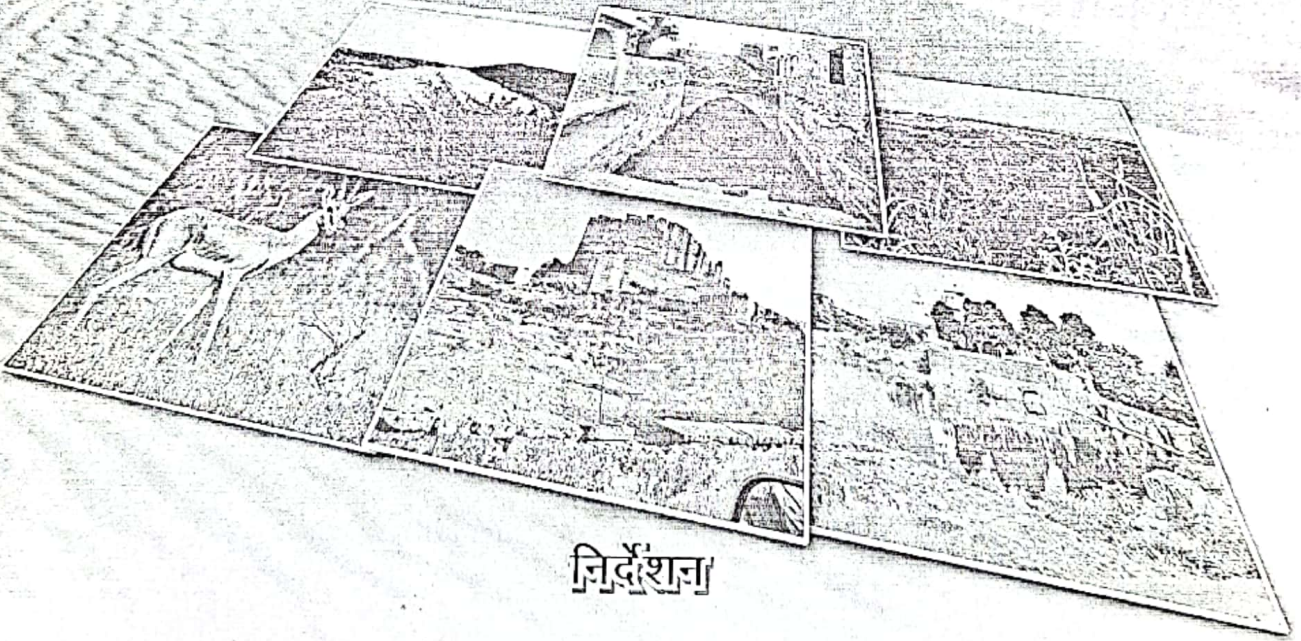
राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्य आयोजना

वन मण्डल, जोधपुर
2013-14 से 2022-23

प्रस्तुतकर्ता

महेन्द्र सिंह राठी, मा.व.से.
कार्य आयोजना अधिकारी



निर्देशन

श्री एस.के.जैन, मा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना,
राज. जयपुर


उप वन संरक्षक
वन्यजीव, जोधपुर

श्री ए.के. सिंह, मा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर

मार्गदर्शन

श्री ए.सी. चौबे, मा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राज. जयपुर

Chapter XII

	अध्याय 12	CHAPTER XII
	विविध प्रबन्धन कार्यवृत्त	Miscellaneous Management Working Circle
12.1	कार्यवृत्त का सामान्य गठन	General Constitution of Working Circle
12.2	सस्य का सामान्य स्वरूप	General Composition of the Crop
12.3	कार्यवृत्त के विशिष्ट उद्देश्य	Special objectives of Working Circle
12.4	उपचार विधियाँ	Methods of Treatment
12.5	वित्तीय पूर्वानुमान	Financial Forecast


उप वन संरक्षक
वन्यजीव, जोधपुर

अध्याय-12 विविध प्रबन्धन कार्यवृत्त

Chapter XII Miscellaneous Management Working Circle

12.1 कार्यवृत्त का सामान्य गठन

जोधपुर जिला मरुस्थलीय जिला होने के साथ-साथ अनेक भौगोलिक विविधताओं को समाहित किये हुए है। पहाड़ी एवं रेतीले क्षेत्रों के अतिरिक्त थुलू, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें झीले एवं नहर मौजूद है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें वनखण्ड तो घोषित किया हुआ है परन्तु उनमें या तो सम्पूर्ण क्षेत्र में भवन निर्माण है अथवा कुछ क्षेत्र में भवन निर्माण के अतिरिक्त खुला स्थान है और अल्प मात्रा में वृक्ष लगाये हुए है। यह स्थान पूर्व में वन विभाग को नर्सरी आदि कार्यों के लिये आवंटित किये जाने के कारण ऐसी भूमियों के वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद हो जाने के कारण इन्हे रक्षित वनखण्डों में सम्मिलित कर लिया गया है। इन क्षेत्रों में स्थान विशेष के अनुरूप ही कार्यवाही की जा सकती है। विलाड़ा रेंज के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें प्रारम्भिक विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व ही पक्के भवन निर्माण एवं पशु वाड़े बने हुए हैं एवं कुछ क्षेत्रों में प्रारम्भिक विज्ञप्ति से पूर्व से ही कृषि कार्य हो रहा है अथवा वनखण्ड के अधिकांश रकबे पर अतिक्रमण/खनन कार्य पूर्व से ही हो रहा है। मण्डोर रेंज के 4 वनखण्ड आफरी वन भवन, वन प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि अन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जैसे कार्यों के उपयोग में आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में इन क्षेत्रों में वर्तमान में ना तो भू संरक्षण गतिविधियों की जा सकती है और ना ही अन्य किसी प्रकार का विकास कार्य करना सम्भव है। अतिविशेष परिस्थितियों वाले मण्डोर एवं विलाड़ा रेंज के 19 वनखण्डों को इस कार्यवृत्त में शामिल किया गया है। जिनकी विगत निम्नानुसार है :

क्र.सं.	रेंज का नाम	कुल वनखण्ड का क्षेत्रफल		विविध प्रबन्धन कार्यवृत्त	
		संख्या	क्षेत्रफल (है.)	वनखण्ड	क्षेत्रफल (है.)
1	मण्डोर	20	6848.5	10	1436.17
2	लूणी	2	249.44	-	-
3	विलाड़ा	29	5484.03	7	894.75
4	मोपालगढ़	17	2386.96	-	-
5	ओरिसा	31	4281.87	2	2.06

6	शेरगाढ़	3	142.19	-	-
7	बालोसर	1	40.48	-	-
8	फलोदी	4	457.1	-	-
9	बाप	4	247.13	-	-
	योग	111	20137.7	19	2242.98

विविध प्रबन्धन कार्यवृत्त में सम्मिलित वनखण्डों की सूची

क्र. सं.	रेंज	वन खण्ड	रिक्त है०	कुल क्षेत्रफल है०	कार्यवृत्त
1	मण्डोर	व्यास बावड़ी प्रथम	0	40.46	विविध प्रबन्धन
2	मण्डोर	व्यास बावड़ी द्वितीय	0	3.9	विविध प्रबन्धन
3	मण्डोर	व्यास बावड़ी तृतीय	0	75.23	विविध प्रबन्धन
4	मण्डोर	व्यास की बावड़ी चतुर्थ	0	161.07	विविध प्रबन्धन
5	मण्डोर	बग्गी खाना	0	16.87	विविध प्रबन्धन
6	मण्डोर	भूतेश्वर 1/2	103.8	133.8	विविध प्रबन्धन
7	मण्डोर	भूतेश्वर 2/2	149.39	204.39	विविध प्रबन्धन
8	मण्डोर	माचिया 1/2	13.89	63.89	विविध प्रबन्धन
9	मण्डोर	माचिया 2/2	100	650	विविध प्रबन्धन
10	मण्डोर	लाक्स वैल	0.5	0.56	विविध प्रबन्धन
11	मण्डोर	चानणा द्वितीय	1.53	1.53	विविध प्रबन्धन
12	मण्डोर	बेरी गंगा	34.47	34.47	विविध प्रबन्धन
13	बिलाडा	कापरडा	295	495.18	विविध प्रबन्धन
14	बिलाडा	झुरली	12.92	39.82	विविध प्रबन्धन
15	बिलाडा	पडासला कला	20.16	170.16	विविध प्रबन्धन
16	बिलाडा	पीपाड	30.7	128.97	विविध प्रबन्धन
17	बिलाडा	शिलवासनी	1.01	2.01	विविध प्रबन्धन
18	बिलाडा	जवासिया	2.8	7.80	विविध प्रबन्धन
19	बिलाडा	पिचियाक नर्सरी एवं रेंज " ऑफिस	0.56	0.81	विविध प्रबन्धन
20	ओसिया	पण्डित जी की ढाणी	0.12	0.12	विविध प्रबन्धन
21	ओसिया	घेवडा	1.94	1.94	विविध प्रबन्धन
		योग		2242.98	

उप वन संरक्षक
वन्यजीव, जोधपुर

12.2 संरक्षण का सामान्य स्वरूप

इस पुस्तक में वन मंडल के ऐसे वन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जहाँ वृक्ष प्रजातियों के घनत्व के स्थान पर उन वन क्षेत्रों में वर्तमान में हो रही विशेष गतिविधियों के कारण सम्मिलित किया गया है जिन्हें प्रमुखता से 4 श्रेणियों में बांटा गया है।

श्रेणी प्रथम

प्रथम श्रेणी में ऐसे वनखण्ड सम्मिलित किये गये हैं जिन पर विभागीय भवन निर्मित है एवं उनके परिसर में कुछ वृक्ष लगाये हुए हैं अथवा विभागीय नर्सरी स्थापित है। ऐसे क्षेत्रों की सूची निम्नानुसार है -

क्र. सं.	रेज	वनखण्ड	क्षेत्रफल (है०)
1	मण्डोर	चानणा द्वितीय	1.53
2	मण्डोर	लॉक्स वैल नर्सरी	0.56
3	बिलाड़ा	पिचियाक नर्सरी एवं रेज ऑफिस	0.81
4	बिलाड़ा	जवासिया	7.8
5	बिलाड़ा	तिलवासनी	2.01
6	ओरिया	पण्डित जी की ढाणी	0.12
7	ओरिया	घेवड़ा	1.94
	योग		24.77

श्रेणी द्वितीय

वनखण्ड जिनमें क्षेत्र को रक्षित/अवर्गीकृत घोषित होने की प्रारम्भिक विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व से ही उनमें या तो कृषि कार्य हो रहे थे अथवा आबादी/गौशाला बसी हुई है अथवा सम्पूर्ण क्षेत्र खनन से प्रभावित है, एवं इन वनखण्डों की भूमि का सम्पूर्ण भाग भी विभाग के पक्ष में अमल दरामद नहीं हो सका है। ऐसे वन क्षेत्रों की सूची निम्नानुसार है :

क्र.सं.	नाम रेज	वन खण्ड का नाम	वन भूमि का क्षेत्रफल है	क्षेत्र
1	मण्डोर	भूतेश्वर 1/2	133.8	रक्षित
2	मण्डोर	भूतेश्वर 2/2	204.39	रक्षित
3	मण्डोर	माचिया 1/2	63.89	रक्षित
4	मण्डोर	वेरी गंगा	84.47	अवर्गीकृत
5	मण्डोर	बग्गी खाना	16.87	अवर्गीकृत
6	बिलाड़ा	कापरड़ा	405.18	रक्षित
7	बिलाड़ा	झूरली	89.82	रक्षित
8	बिलाड़ा	पडासला कला	170.16	रक्षित
9	बिलाड़ा	पीपाड	128.97	रक्षित

		योग	1297.55	
--	--	-----	---------	--

श्रेणी तृतीय

जोधपुर वन मण्डल के 4 वनखण्ड वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जैसे कार्यों के लिए उपयोग में लिये जा रहे हैं। इन वन क्षेत्रों में चारो ओर पक्की दीवार निर्मित है और सघन वृक्षारोपण भी किया हुआ है। ऐसे वनखण्डों की सूची निम्नानुसार है -

1	मण्डोर	व्यास बावडी प्रथम	40.46	रक्षित
2	मण्डोर	व्यास बावडी द्वितीय	3.9	रक्षित
3	मण्डोर	व्यास बावडी तृतीय	75.23	रक्षित
4	मण्डोर	व्यास की बावडी चतुर्थ	161.07	रक्षित
योग			280.66	

श्रेणी चतुर्थ

जोधपुर वनमण्डल के मण्डोर रेंज का माचिया वनखण्ड ऐसा रक्षित वनक्षेत्र है जिसके संविभाग, माचिया 2/2, 650.00 है० वन क्षेत्र का नियंत्रण उप वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर के अधीन है एवं इसमें से 41 हैक्टेयर वन क्षेत्र में माचिया बायोलोजिकल पार्क का निर्माण प्रगति पर है। उप वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर के अधीन क्षेत्र की कोई अलग से प्रबन्ध योजना भी स्वीकृत नहीं है। इस विशेष परिस्थिति के कारण ही इस वनखण्ड को इस कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया है।

क्र.सं.	नाम रेंज	वन खण्ड का नाम	वन भूमि का क्षेत्रफल है.	क्षेत्र
2.	मण्डोर	माचिया 2/2	650.00	
		योग	650.00	

12.3 कार्यवृत्त के विशिष्ट उद्देश्य

इस कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्रों में किसी प्रकार के विकास कार्य कराया जाना संभव नहीं है परन्तु जिन क्षेत्रों में नर्सरी एवं भवन निर्माण है उन क्षेत्रों में हरितिमा बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये एवं अन्य क्षेत्रों में आवश्यक कानूनी कार्यवाही सम्पादित कर या तो उन क्षेत्रों से वर्तमान गैर वानिकी गतिविधियों को हटवाया जावे अन्यथा ऐसे क्षेत्रों के एवज में आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर वन क्षेत्र का समतुल्य क्षेत्रफल बनाये रखने हेतु प्रयास किये जाने चाहियें। इसी उद्देश्य से इस कार्यवृत्त का विशेष रूप से गठन किया गया है एवं उद्देश्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. भवन एवं नर्सरी वाले 7 वनखण्डों के क्षेत्र जिनका कुल सम्मिलित क्षेत्रफल 14.77 है० हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर उनमें हरितता बढ़ाना है।
2. जिन वनखण्डों में प्रारम्भिक विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व से ही गैर वानिकी गतिविधियाँ संचालित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कानूनी कार्यवाही कर अंतिम विज्ञप्ति जारी कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
3. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले 4 वनखण्डों की सुरक्षा एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण क्षेत्र विकसित करना।

12.4 उपचार विधियाँ

इस कार्यवृत्त में सम्मिलित क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों हेतु श्रेणी विशेष के अनुरूप निम्न उपचार विधियाँ प्रस्तावित हैं—

प्रथम श्रेणी में उन 7 वनखण्डों को सम्मिलित किया गया है जिनका कुल सम्मिलित क्षेत्रफल अत्यन्त न्यून अर्थात् 14.77 हैक्टेयर है। इनमें से अधिकांश में भवन निर्माण है ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त खुले परिसर में मौकों की परिस्थिति के अनुसार बड़े वृक्ष अथवा छोटी फूल देने वाली झाड़ियाँ जैसे बोगनविला कनेर आदि का रोपण कर उस वनखण्ड की सुन्दरता बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में पुरानी नर्सरी रही है।

श्रेणी द्वितीय

द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित अन्य 7 वनखण्ड एवं माचिया वनखण्ड का संविभाग संख्या 1 सम्मिलित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रकाशन से पूर्व गैर वानिकी गतिविधियाँ यथा कृषि/खनन/आवादी अथवा कच्ची बस्ती कायम है उन क्षेत्रों में वन बंदावस्त अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कानूनी कार्यवाही को प्राथमिकता से सम्पादित कराकर या तो उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जावे अथवा कानूनी प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराई जावे।

उपरोक्त समस्त वनखण्डों के प्रवेश द्वारों पर वन विभाग की सम्पत्ति होने की सूचना बोर्ड के माध्यम से अथवा जिन स्थानों पर दीवार बनी हुई है उन पर बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित की जानी चाहिए।

श्रेणी तृतीय — इस श्रेणी में सम्मिलित चारों वनखण्ड वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लिये जा रहे हैं। अतः उन्हीं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वनस्पति आच्छादन बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

श्रेणी चतुर्थ — इस श्रेणी में माचिया वनखण्ड के 1 संविभाग जिनका कुल क्षेत्रफल 650.00 हैक्टेयर है एवं इसका नियंत्रण उप वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर के अधीन

है। इस क्षेत्र में से 41 हैचटेयर क्षेत्र में से माचिया बायोडिजिटल पार्क का निर्माण प्रगति पर है। एवं संविभाग संख्या 3 में उप वन संरक्षक वन्यजीव द्वारा स्थानीय परिस्थितियों एवं उनकी आवश्यकता अनुसार विकास कार्य कराये जावेंगे।

12.4.1 प्रजातियों का चयन

इस कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्रों में नर्सरी क्षेत्रों में छायादार एवं फूलदार पौधे लगाये जाकर इन वनखण्डों की हरियाली बढ़ाये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

12.5 वित्तीय अनुमान

इस कार्यवृत्त में यद्यपि विशेष प्रकार के वनखण्डों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें मुख्य रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर वानिकी गतिविधियों हेतु क्षेत्र को तैयार किया जाना मुख्य लक्ष्य है। अतः इन वनखण्डों में किसी प्रकार का विशेष वनवर्धन उपचार किया जाना प्रस्तावित नहीं किया गया है। परन्तु नर्सरीयां जिनमें विश्राम स्थल एवं हरियाली बढ़ाना आवश्यक है एवं अन्य क्षेत्रों में सूचना पट्ट एवं किसी भी नवीन गतिविधि को रोकने हेतु इस भूमि पर सूचना पट्ट इत्यादि लगाया जाना आवश्यक है जिस पर निम्नानुसार व्यय संभावित है -

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय करोड़ रु. में
1	5 नर्सरीयों में आश्रय स्थल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रति वर्ष -1,00,000 रु. प्रति नर्सरी व्यय अनुसार 10 वर्ष में संभावित व्यय	0.50
2	शेष वन खण्डों की सुरक्षा हेतु सूचना पट्ट लगाया जाना एवं उनका संधारण लगभग 5 लाख रु. प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष हेतु संभावित व्यय -	0.50
योग		1.00 करोड़ रु.

उपरोक्त व्यय वर्तमान श्रमिक दर 147 रुपये प्रतिदिन पर आधारित है। भविष्य में कीमतों में वृद्धि के अनुरूप इस राशि में बढ़ोतरी संभव है।


उप वन संरक्षक
वन्यजीव, जोधपुर